न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—75 / 2023 / 75 एल.आर.एक्ट (2023 / 75)

आम जनता रानीसागर, ग्राम पंचायत रानीसागर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर जरिएः—

1. प्रेमसिंह पुत्र किशनसिंह
2. लेखराज पुत्र ईश्वरचंद
3. गोपालसिंह पुत्र मोहनसिंह
4. लेखसिंह पुत्र लादूसिंह
5. शक्तिसिंह पुत्र भंवरसिंह

समस्त निवासी ग्राम रानीसागर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. पूजा पत्नि सावरसिंह, निवासी ग्राम रानीसागर, तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, आदेश दिनांक 23.01.2023 कार्यालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण क्रमांक पीसीसीएल / 2022—23 / 111844 पारित आदेश के विरूद्ध अपील।

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दीपेन्द्र सिंह कालवी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—05.02.2026

1. यह अपील कार्यालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा प्रकरण क्रमांक पीसीसीएल / 2022—23 / 111844 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कार्यालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा दिनांक 23.01.2023 को कन्वर्जन आदेश पारित किए गए। अपील कार्यालय विहित प्राधिकारी एवं

उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा प्रकरण क्रमांक पीसीसीएल/2022–23/111844 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि ग्राम रानीसागर स्थित आराजीयात खसरा संख्या 4121/2894 जो कि गै0मु0 चारागाह दर्ज है व उपरोक्त गै0मु0 चारागाह की आराजीयात पर अवैध रूप से परिवर्तन आदेश की आड में निर्माण किया जा रहा है व उक्त चारागाह की आराजीयात से ही रास्ता अवैध रूप से बनाया जाकर आवागमन कर उक्त चारागाह की आराजीयात को खुर्द बुर्द किया जा रहा है चूंकि उपरोक्त गै0मु0 चारागाह की आराजी ग्रामवासियों के मवेशी चराने की आराजीयात रही है व आक्षेपित आदेश की आड में उक्त आराजीयात पर निर्माण कार्य कर उसे खुर्द बुर्द किया जा रहा है जिससे अपीलांट ग्रामवासियान के हक व अधिकार प्रभावित होते है व अपीलांट व्यथित पक्षकार होने से उन्हें अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। सपरिवर्तनशुदा आराजीयात की आड में गै0मु0 चारागाह सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की आराजीयात रही है, पर निर्माण कर आवागमन हेतु रास्ते में उपयोग में लाई जाकर खुर्द बुर्द किया जा रहा है, जिससे ग्रामवासियान के हितों की रक्षार्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण ग्रामवासियान द्वारा अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कहे गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम रानीसागर प0म0 खरवा द्वितीय तहसील मसूदा के प्रस्तावित आराजी खसरा नम्बर 4761/4605 रकबा 0.0809 है0 किस्म औद्योगिक में से 0.0167 है0 भूमि को औघोगिक से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 2007 आवेदक श्रीमती पूजा पत्नि सांवरसिंह निवासी

रामपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक/एलसी/2022–23/1118444 उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के अधीन प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार के कार्यालय द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 12.01.2023 को मौका रिपोर्ट खसरा नम्बर 4761/4605 कुल रकबा 0.0809है0 बाबत तैयार की गई। उक्त प्रयोजनार्थ हेतु भूमि का नक्शा भी प्रस्तुत किया गया जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गई समस्त कार्यवाही में रेस्पोडेंट संख्या 1 का ही नाम है।

अपीलांट उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पक्षकार ही नहीं थे तो किस आधार पर उनके हक अधिकार प्रभावित हो रहे है या वे उक्त आवंटन आदेश से किस प्रकार पीडित है। चूंकि यह प्रार्थी पर निर्भर करता है कि यदि वह किसी प्रकार से पीडित है तो न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर अपना उपचार मांग सकता है परंतु अपीलांट के उक्त आराजीयात बाबत किस प्रकार से हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष यह साबित नहीं कर पाए है, केवल प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं थे तथा वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए संपरिवर्तन आदेश से भी पीडित नहीं है तथा ना ही संपरिवर्तन आदेश में उनकी खातेदारी की आराजीयात आवंटित की गई है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में मुख्य कथन यही किया गया है कि खसरा नम्बर 4121/2894 जो कि गै0मु0 चारागाह दर्ज है उसे परिवर्तन आदेश की आड में खुर्दबुर्द किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में वाणिज्यिक प्रस्तावित भूमि में आवागमन हेतु आवेदक के पति की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3881/2896 व 4135/2905 में से 40 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध करावाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 4761/4605 में आवागमन हेतु रेस्पोडेंट के पति द्वारा अपनी खातेदारी खेत की भूमि रास्ते के रूप में उपलब्ध करवाने हेतु सहमति दी गई है।

राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के अनुसार सभी नियमों को ध्यान में रखकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार, भूअभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.01.2023 को तैयार मौका रिपोर्ट की अनुशंषा करते हुए विधि सम्मत रूप से सपंरिवर्तन किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071–2076 के खाता संख्या 586 के खसरा नम्बर 4121/2894 गै0मु0 चारागाह जो कि ग्राम पंचायत खरवा के खाते में दर्ज है। तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि खसरा नम्बर 4761/4605 की संपरिवर्तित की गई भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 3881/2896 व खसरा नम्बर 4135/2905 का ही उपयोग रास्ते के रूप में किया जावे। चूंकि इन

दोनों खसरों बाबत संपरिवर्तन की गई भूमि में आवागमन हेतु रास्ते के रूप में उपयोग हेतु सहमति दी गई है। इन दोनों खसरों के अलावा अन्य किसी खसरे व खसरा नम्बर 4121/2894 गै0मु0 चारागाह जो कि ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज है से किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं करे व उक्त भूमि का खुर्द बुर्द नहीं करे। ग्राम पंचायत, रानीसागर व राज्य सरकार इस हेतु पृथक से अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2020 आर0बी0जे0 पेज 569

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– धारा 96–: *जब अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे कि निर्णय का उन पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पडेगा जिसके कारण से वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, व आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकारी है, अपीलांट व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है इस कारण अपील करने के दिया गया उनका प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।*

अवलोकन किए जाने के पश्चात उक्त न्यायिक नजीर प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में किसी भी तरह से विधिक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी.खारिज कर उन्हें उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं कर अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने से उक्त अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है, तथा कार्यालय विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा प्रकरण क्रमांक पीसीसीएल/2022–23/111844 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2023 को यथावत रखा जाता है व तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में खसरा नम्बर 4121/2894 गु0मु0 चारागाह को खुर्दबुर्द नहीं होने दे व दोषी व्यक्ति पर नियमों के तहत कार्यवाही करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर